रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 22 अप्रैल, 2023 ई० (बैशाख 02, 1945 शक संवत्) [संख्या 16

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	223–234	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	433–486	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	157–168	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	225–227	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग
(पुलिस सेवायें)

अनुभाग–2

01 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1951/छः पु0से0-2-22-547(1)/1992–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के वर्ष 2018 बैच के 01 अधिकारी एवं वर्ष 2019 बैच के 09 सीधी भर्ती के निम्नांकित अधिकारियों को, उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ समयमान वेतनमान (पे-मैट्रिक्स लेवल-11, (रु0 67,700-2,08,700) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच	वरिष्ठता समयमान वेतनमान देयता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री चन्द्रकान्त मीना	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
2	श्री म्रिगांक शेखर पाठक	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
3	श्री शक्ति मोहन अवस्थी	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
4	श्री सागर जैन	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
5	श्री आकाश पटेल	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
6	श्री सत्यनरायन प्रजापत	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
7	श्री विवेक चन्द्र यादव	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
8	सुश्री प्रीती यादव	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
9	श्री सरवणन टी	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023
10	श्री शशांक सिंह	आईपीएस-आरआर-2019	01-01-2023

सं0 1968/छः पु0से0-2-22-547(1)/2005–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के वर्ष 2014 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को, उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से, भारतीय पुलिस सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे-मैट्रिक्स लेवल-12, (रु0 78,800-2,09,200) इस शर्त के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मेनडेटरी मिड कैरियर-III (एमसीटीपी-III) प्रशिक्षण यथासमय पूर्ण कर लिया जायेगा :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देयता की तिथि
1	2	3	4
1	श्री अनूप कुमार सिंह	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
2	श्री अभिनन्दन	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
3	सुश्री रवीना त्यागी	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
4	श्री अंकित मित्तल	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
5	श्री श्लोक कुमार	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023

1	2	3	4
6	डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
7	श्री विनीत जायसवाल	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
8	श्री संजीव सुमन	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
9	श्री रईस अख्तर	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
10	श्रीमती चारू निगम	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
11	श्री प्रशान्त वर्मा	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
12	श्री गौरव बंसवाल	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
13	श्रीमती पूजा यादव	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023
14	श्रीमती वृन्दा शुक्ला	आईपीएस-आरआर-2014	01-01-2023

18 जनवरी, 2023 ई0

पदोन्नति

सं0 46डीजी/छः पु0से0-2-23-522(84)/2022—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0संवर्ग) के अधिकारी श्री पीयूष मोर्डिया, आईपीएस-आरआर-1998 को दिनांक 13 जनवरी, 2023 (पूर्वान्ह) अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु0 1,82,200-2,24,100) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2—वर्ष-1998 बैच के शेष अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश रिक्तियां उपलब्ध होने पर यथासमय पृथक से निर्गत किये जायेगें।

3—श्री पीयूष मोर्डिया, आईपीएस-आरआर-1998 की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।

अनुभाग—1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

सं0 46/छः पु0से0-1-2023—प्रान्तीय पुलिस सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 (जिनकी जन्म—तिथि 01 जनवरी, 1963 से 01 जनवरी, 1964 के मध्य) है, तक की अवधि में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कालम—5 में अंकित तिथि को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति हो जायेंगे—

क्र0 सं0	पद नाम	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान नियुक्त जनपद/इकाई
1	2	3	4	5	6
1	पुलिस उपाधीक्षक	श्री लाल चन्द्र	02-01-1963	31-01-2023	जनपद मिर्जापुर
2	पुलिस उपाधीक्षक	श्री मोहन प्रसाद	04-01-1963	31-01-2023	एटीएस लखनऊ
3	पुलिस उपाधीक्षक	श्री कमल सिंह चौहान	04-01-1963	31-01-2023	सीबीसीआईडी लखनऊ
4	पुलिस उपाधीक्षक	श्री मुन्ना उपाध्याय	07-01-1963	31-01-2023	जनपद गोण्डा
5	पुलिस उपाधीक्षक	श्रीमती प्रभा सिंह	07-01-1963	31-01-2023	9वीं वाहिनी पीएसी
6	पुलिस उपाधीक्षक	श्री दिनेश कुमार सिंह	10-01-1963	31-01-2023	35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ

1	2	3	4	5	6
7	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अम्बिका राम	15-01-1963	31-01-2023	जनपद बस्ती
8	पुलिस उपाधीक्षक	श्रीमती कमलेश द्विवेदी	26-01-1963	31-01-2023	एलआईयू बरेली
9	अपर पुलिस उपाधीक्षक	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	01-02-1963	31-01-2023	20वीं वाहिनी पीएसी आजगढ़
10	पुलिस उपाधीक्षक	श्री महेन्द्र पाल शर्मा	01-02-1963	31-01-2023	जनपद श्रावस्ती
11	पुलिस उपाधीक्षक	श्री मस्सा सिंह	08-02-1963	28-02-2023	जनपद शाहजहांपुर
12	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अर्जुन सिंह	13-02-1963	28-02-2023	28वीं वाहिनी पीएसी इटावा
13	पुलिस उपाधीक्षक	श्री जय प्रकाश सिंह	01-03-1963	28-02-2023	30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा
14	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अखिलेश राय	08-03-1963	31-03-2023	ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ
15	पुलिस उपाधीक्षक	श्री नर्सिंग नरायण	09-03-1963	31-03-2023	42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज
16	पुलिस उपाधीक्षक	श्री संजय कुमार सिंह	18-03-1963	31-03-2023	जनपद फतेहपुर
17	पुलिस उपाधीक्षक	श्री राजेन्द्र प्रसाद शाही	01-04-1963	31-03-2023	जनपद मेरठ
18	पुलिस उपाधीक्षक	श्री रणविजय सिंह	15-04-1963	30-04-2023	8वीं वाहिनी पीएसी बरेली
19	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अजय अग्रवाल	16-04-1963	30-04-2023	जनपद महोबा
20	अपर पुलिस अधीक्षक	श्री महेन्द्र प्रताप	01-05-1963	30-04-2023	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक/बांदा
21	पुलिस उपाधीक्षक	श्री हरि चन्द्र	05-05-1963	31-05-2023	जनपद सिद्धार्थनगर
22	पुलिस उपाधीक्षक	श्री कृष्ण प्रताप सिंह	09-05-1963	31-05-2023	जनपद बहराइच
23	पुलिस उपाधीक्षक	श्री राणा महेन्द्र प्रताप	10-05-1963	31-05-2023	जनपद सिद्धार्थनगर
24	पुलिस उपाधीक्षक	श्री केशव सिंह यादव	09-05-1963	31-05-2023	12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर
25	पुलिस उपाधीक्षक	श्री विक्रम सिंह	01-06-1963	31-05-2023	जनपद लखनऊ नगर
26	पुलिस उपाधीक्षक	श्री कोमल प्रसाद मिश्र	01-06-1963	31-05-2023	जनपद महराजगंज
27	पुलिस उपाधीक्षक	श्रीमती संगीता सिंह	05-06-1963	30-06-2023	एसीओ मेरठ
28	पुलिस उपाधीक्षक	श्री राम किशोर	10-06-1963	30-06-2023	जनपद रायबरेली
29	पुलिस उपाधीक्षक	श्री सिद्धार्थ तोमर	13-06-1963	30-06-2023	जनपद आजगढ़
30	पुलिस उपाधीक्षक	श्री शेषमणि पाठक	14-06-1963	30-06-2023	भर्ती बोर्ड लखनऊ
31	पुलिस उपाधीक्षक	श्री संसार सिंह राटी	25-06-1963	30-06-2023	जनपद गोण्डा
32	पुलिस उपाधीक्षक	श्री कुलदीप कुकरेती	28-06-1963	30-06-2023	एलआईयू सहारनपुर
33	पुलिस उपाधीक्षक	श्री आशापाल सिंह	01-07-1963	30-06-2023	जनपद कानपुर देहात
34	पुलिस उपाधीक्षक	श्री प्रवीण कुमार सिंह	01-07-1963	30-06-2023	जनपद गौतमबुद्धनगर
35	पुलिस उपाधीक्षक	श्री आशुतोष कुमार ओझा	01-07-1963	30-06-2023	एटीएस लखनऊ

1	2	3	4	5	6
36	पुलिस उपाधीक्षक	श्री धीरेन्द्र कुमार	01-07-1963	30-06-2023	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
37	पुलिस उपाधीक्षक	श्री सुनील शर्मा	01-07-1963	30-06-2023	सीबीसीआईडी मेरठ
38	पुलिस उपाधीक्षक	श्री सुनील कुमार राय	01-07-1963	30-06-2023	रेलवे गोरखपुर
39	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अविनाश चन्द्र सिन्हा	01-07-1963	30-06-2023	साईबर वाराणसी
40	पुलिस उपाधीक्षक	श्री लल्लन प्रसाद	10-07-1963	31-07-2023	सीबीसीआईडी लखनऊ
41	पुलिस उपाधीक्षक	श्री उमाशंकर उत्तम	12-07-1963	31-07-2023	जनपद मऊ
42	पुलिस उपाधीक्षक	श्री दीप चन्द्र यादव	15-07-1963	31-07-2023	भर्ती बोर्ड लखनऊ
43	पुलिस उपाधीक्षक	श्री राजेन्द्र प्रसाद	15-07-1963	31-07-2023	जनपद खीरी
44	पुलिस उपाधीक्षक	सुश्री अल्पना घोष	15-07-1963	31-07-2023	साईबर सेल लखनऊ
45	पुलिस उपाधीक्षक	श्री राजा राम	17-07-1963	31-07-2023	जनपद सुल्तानपुर
46	पुलिस उपाधीक्षक	श्री धर्मराज यादव	20-07-1963	31-07-2023	साईबर सेल झांसी
47	पुलिस उपाधीक्षक	श्री विजय राज सिंह	21-07-1963	31-07-2023	लखनऊ नगर
48	पुलिस उपाधीक्षक	श्री वीजेन्द्र सिंह भरना	21-07-1963	31-07-2023	जनपद शामली
49	पुलिस उपाधीक्षक	श्री रवीन्द्र कुमार	30-07-1963	31-07-2023	जनपद गाजीपुर
50	पुलिस उपाधीक्षक	श्री जय प्रकाश सिंह	30-07-1963	31-07-2023	जनपद गोरखपुर
51	अपर पुलिस उपाधीक्षक	श्री अमित मिश्रा	31-07-1963	31-07-2023	मानवाधिकार आयोग लखनऊ
52	पुलिस उपाधीक्षक	श्री राज कुमार शुक्ला	01-08-1963	31-07-2023	जनपद उन्नाव
53	पुलिस उपाधीक्षक	श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा	01-08-1963	31-07-2023	जनपद फतेहपुर
54	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अजय प्रकाश	02-08-1963	31-08-2023	अभिसूचना कानपुर नगर
55	पुलिस उपाधीक्षक	श्री धर्मेन्द्र सिंह	14-08-1963	31-08-2023	जनपद मथुरा
56	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अबरार अहमद	14-08-1963	31-08-2023	कोआपरेटिव सेल कानपुर नगर
57	पुलिस उपाधीक्षक	श्री बैजनाथ प्रसाद	25-08-1963	31-08-2023	जनपद बरेली
58	पुलिस उपाधीक्षक	श्री राम सागर	08-09-1963	30-09-2023	जनपद प्रयागराज
59	अपर पुलिस उपाधीक्षक	श्री जिया लाल	14-09-1963	30-09-2023	उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ
60	अपर पुलिस उपाधीक्षक	श्री राम मुरत यादव	15-09-1963	30-09-2023	पी0टी0सी0 मुरादाबाद
61	अपर पुलिस उपाधीक्षक	श्री अजय कुमार सिंह	01-10-1963	30-09-2023	वाराणसी नगर
62	अपर पुलिस उपाधीक्षक	श्री हबीबुल हसन	04-10-1963	31-10-2023	ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ
63	पुलिस उपाधीक्षक	श्री कैलाश चन्द्र	20-10-1963	31-10-2023	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ

1	2	3	4	5	6
64	पुलिस उपाधीक्षक	श्री त्रिलोकन त्रिपाठी	20-10-1963	31-10-2023	वाराणसी नगर
65	पुलिस उपाधीक्षक	श्री देवेन्द्र कुमार	26-10-1963	31-10-2023	जनपद बागपत
66	पुलिस उपाधीक्षक	श्री शिव प्रकाश सोनकर	30-10-1963	31-10-2023	जनपद चित्रकूट
67	पुलिस उपाधीक्षक	श्री जगदीश लाल टम्टा	08-11-1963	30-11-2023	जनपद शाहजहांपुर
68	पुलिस उपाधीक्षक	श्री शिव नारायण	10-11-1963	30-11-2023	34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी
69	पुलिस उपाधीक्षक	श्री प्रेम नारायण तिवारी	15-11-1963	30-11-2023	जनपद देवरिया
70	पुलिस उपाधीक्षक	श्री रवीन्द्र कुमार	28-11-1963	30-11-2023	जनपद जालौन
71	पुलिस उपाधीक्षक	श्री फूलचन्द्र राम	01-12-1963	30-11-2023	20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़
72	पुलिस उपाधीक्षक	श्री से0 नईमूल हसन	10-12-1963	31-12-2023	पी0टी0सी0 सीतापुर
73	पुलिस उपाधीक्षक	श्री कमलेश नारायण	15-12-1963	31-12-2023	जनपद ललितपुर
74	पुलिस उपाधीक्षक	श्री श्याम बहादुर सिंह	19-12-1963	31-12-2023	जनपद गाजीपुर
75	पुलिस उपाधीक्षक	श्री सुनील कुमार त्यागी	20-12-1963	31-12-2023	जनपद एटा
76	पुलिस उपाधीक्षक	श्री बाबू लाल यादव	28-12-1963	31-12-2023	12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर
77	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अरूण कुमार दीक्षित	01-01-1964	31-12-2023	जनपद प्रयागराज
78	पुलिस उपाधीक्षक	श्री बलदेव सिंह खनेडा	01-01-1964	31-12-2023	24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद
79	पुलिस उपाधीक्षक	श्री आनन्द कुमार	01-01-1964	31-12-2023	तकनीकी मुख्यालय लखनऊ
80	पुलिस उपाधीक्षक	श्री महिपाल पाठक	01-01-1964	31-12-2023	जनपद रायबरेली
81	पुलिस उपाधीक्षक	श्री अरशद जमाल सिद्दीकी	01-01-1964	31-12-2023	10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी
82	पुलिस उपाधीक्षक	श्री विजय पाल सिंह	01-01-1964	31-12-2023	जनपद मैनपुरी
83	पुलिस उपाधीक्षक	श्री लालता प्रसाद साहू	01-01-1964	31-12-2023	जनपद आजमगढ
84	पुलिस उपाधीक्षक	डा0 विजय लक्ष्मी पाण्डेय	01-01-1964	31-12-2023	कोआपरेटिव सेल लखनऊ

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग–9

अधिसूचना

(शक्ति)

03 फरवरी, 2023 ई0

सं0 यू0ओ0-9/छः-पु0-9-23-31(103)/2010टी0सी0–दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट की परीक्षाओं के समस्त केन्द्र अधीक्षकों को जैसा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0-2 सन् 1921) की धारा-2 के खण्ड (छ) में परिभाषित है, दिनांक 16 फरवरी, 2023 को प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 04 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें उस केन्द्र की सीमा के भीतर, जिसके वे अधीक्षक हैं, किये गये अपराधों के सम्बन्ध में उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली सभी शक्तियां प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 बी0 डी0 पॉल्सन,
सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
GRIH (POLICE) VIBHAG
POLICE SAWAYEN

ANUBHAG-9

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. UO-9/VI-P-9-23-31(103)/2010T.C., Dated *January* 3, 2023.

NOTIFICATION

(POWERS)

January 03, 2023

No. UO-9/VI-P-9-23-31(103)/2010T.C.–In exercise of the power under Section-21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No-2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from February 16, 2023 till March 04, 2023 all the Superintendents of the centres of High School and Intermediate Examinations as defined in clause (g) of Section-2 of Intermediate Education Act,1921 (U.P. Act No. 2 of 1921) as Executive Magistrate, to be known as special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said code on such Executive Magistrate in respect of the offences committed within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By order,
Dr. B. D. PAULSON,
Sachiv.

अनुभाग–9

03 फरवरी, 2023 ई0

सं0 यू0ओ0-9(ए)/छः-पु0-9-23-31(103)/2010टी0सी0–दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, दिनांक 16 फरवरी, 2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 04 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली सभी शक्तियां उन्हें प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे अपने जनपद की स्थानीय सीमाओं के भीतर कर सकेंगे–

1–समस्त मुख्य राजस्व अधिकारी।
2–समस्त विशेष भूमि अर्जन अधिकारी।
3–समस्त अपर तहसीलदार।
4–समस्त नायब तहसीलदार (जो इस पद पर पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य कर चुके हों)।
5–समस्त संयुक्त निदेशक, चकबन्दी।
6–समस्त उप निदेशक, चकबन्दी।
7–समस्त सहायक निदेशक, चकबन्दी।
8–समस्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी।
9–समस्त चकबन्दी अधिकारी।
10–समस्त सहायक अभियमन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
11–समस्त अधिशाषी अभियन्ता, लघु सिचाई।
12–समस्त सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई।
13–समस्त अभियन्ता, जिला परिषद्।
14–समस्त सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।
15–समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।
16–समस्त उप निदेशक, शिक्षा विभाग।
17–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
18–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
19–समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज।
20–समस्त लेखाधिकारी, (जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय)।

21–समस्त सह जिला विद्यालय निरीक्षक।
22–समस्त उप विद्यालय निरीक्षक।
23–समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज।
24–समस्त सहायक वन संरक्षक और अरण्यपाल।
25–समस्त उप प्रभारी वनाधिकारी।
26–समस्त व्यापार कर अधिकारी और व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–दो।
27–समस्त मुख्य उप निबन्धक, रजिस्ट्रेशन विभाग।
28–समस्त संयुक्त उप निबन्धक, रजिस्ट्रेशन विभाग।
29–समस्त उप निबन्धक, रजिस्ट्रेशन विभाग।
30–समस्त उप निदेशक, कृषि विभाग।
31–समस्त उप निदेशक, भूमि संरक्षण।
32–समस्त जिला कृषि अधिकारी।
33–समस्त जिला कृषि अधिकारी (दलहन)।
34–समस्त जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी ।
35–समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी।
36–समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय।
37–समस्त जिला उद्यान अधिकारी।
38–समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान।
39–समस्त उप निदेशक, पशुधन विभाग।
40–समस्त जिला पशुधन अधिकारी।
41–समस्त जिला विकास अधिकारी।
42–समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)।
43–समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्।
44–समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
45–समस्त प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी।
46–समस्त प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान।
47–समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी।
48–समस्त जिला अर्थ अधिकारी।
49–समस्त जिला संख्या अधिकारी।
50–समस्त उप निबन्धक, सहकारिता विभाग।
51–समस्त सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां।
52–समस्त जिला दुग्ध अधिकारी।
53–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी।
54–समस्त जिला अल्प बचत अधिकारी।
55–समस्त जिला पूर्ति अधिकारी।
56–समस्त एरिया राशनिंग अधिकारी।
57–समस्त प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
58–समस्त निबन्धक, ग्रामोद्योग विभाग।
59–समस्त जिला सूचना अधिकारी।
60–समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी।
61–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
62–समस्त जिला लेखा सम्परीक्षा अधिकारी।
63–समस्त जिला गन्ना अधिकारी।
64–समस्त सम्भागीय विपणन अधिकारी।
65–समस्त उप आबकारी आयुक्त।
66–समस्त सहायक आबकारी आयुक्त।
67–समस्त जिला आबकारी अधिकारी।
68–समस्त सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अल्प बचत।

आज्ञा से,
डा0 बी0 डी0 पॉल्सन,
सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
GRIH POLICE VIBHAG

ANUBHAG-9

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. UO-9(A)/VI-P-9-23-31(103)/2010T.C., Dated *February* 3, 2023.

NOTIFICATION
(POWERS)
February 03, 2023

No.-UO-9(A)/VI-P-9-23-31(103)/2010T.C.-In exercise of the power under Section-21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No-2 of 1974) the Governor is pleased to appoint the following officers posted in various districts of Uttar Pradesh as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate for the period of High School & Intermediate Exam commencing on February 16, 2023 till March 04, 2023 and to confer on them all the powers of the Executive Magistrate as are conferable under the said Code on such Executive Magistrate, to be exercised within the limits of the respective districts of their posting :-

1- All the Chief Revenue Officers.

2-All the Land Acquisition Officers.

3-All the Apar Tehsildars.

4-All the Naib Tehsildars (who had remained on this post for the five Years or more).

5-All the Joint Directors, Consolidation.

6-All the Dy. Directors, Consolidation.

7-All the Asst. Directors, Consolidation

8-All the Settlement Officers, Consolidation.

9-All the Consolidation Officers.

10-All the Asst. Engineers, Rural Engineering Department.

11-All the Executive Engineers, Laghu Sichai Vibhag.

12-All the Asst. Engineers, Laghu Sichai Vibhag.

13-All the Engineers, Zila Parishad.

14-All the Asst. Engineers, Devlopment Authorities.

15-All the Joint Director, Education Department.

16-All the Dy. Directors, Education Department.

17-All the Distt. Inspector of Schools.

18-All the Basic Shiksha Adhikari.

19-All the Principals, Government Inter Colleges.

20-All theAccount Officers (DIOS Offices).

21-All the Sah Zila Vidyalaya Nirikshak.

22-All the Dy. Inspector of School.

23-All the Principals, Government Junior Training College.

24-All the Sahayak Van Sanrakshak and Aranyapal.

25-All the Up Prabhagiya Vanadhikari.

26-All the Trade Tax Officers and Trade Tax Officers (Grade-II).

27-All the Chief Dy. Ragistrar, Registration Department.

28-All the Joint Dy. Ragistrar, Registration Department.

29-All the Dy. Ragistrar, Registration Department.
30-All the Dy. Directors, Agriculture Department.
31-All the Dy Directors, Soil Conservation.
32-All the District, Agriculture Officers.
33-All the District Agriculture Officers (Dalhan).
34-All the District Agriculture and Project Officers.
35-All the Soil Conservation Officers.
36-All the Principals, Government Krishi Mahavidyalaya.
37-All the Zila Udyan Adhikari.
38-All the Superintendents, Rajkiya Udyan.
39-All the Dy. Directors, Pashudhan Vibhag.
40-All the Zila Pashudhan Adhikari.
41-All the District Devlopment Officers.
42-All the Apar Zila Vikas Adhidari (Samaj Kalyan).
43-All the Apar Mukhya Adhikari, Zila parishad.
44-All the Block Devlopment Officers
45-All the Prasar Prashikshan Adhikari.
46-All the Principals, Regional Rural Devolopment Institute.
47-All the District Economic and Statistical Officers.
48-All the District Economic Officers.
49-All the District Statistical Officers.
50-All the Dy. Registrars, Co-operative Societies.
51-All the Asst. Registrars, Co-operative Societies.
52-All the Zila Dugdh Adhikari.
53-All the Zila Panchayat Raj Adhikari.
54-All the Alp Bachat Adhikari.
55-All the District Supply Officers.
56-All the Area Rationing Officers.
57-All the Manager, District Industries Centres.
58-All the Manager, Gramodyog Vibhag.
59-All the District Information Officers.
60-All the District Probation Officers.
61-All the District Social Welfare Officers.
62-All the Zila Lekha Sampariksha Adhikari.
63-All the District Cane Officers.
64-All the Regional Marketing Officers.
65-All the Dy. Commissioners, Excise.
66-All the Asst. Commissioners, Excise.
67-All the District Excise Officers.
68-All the Asst. Directors, National Small Savings.

By order,
Dr. B. D. PAULSON,
Sachiv.

09 फरवरी, 2023 ई0

सं0 446/छः-पु0-9-23-20(10)(16)/88टी0सी0–दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सम सेमेस्टर परीक्षा/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/ओनली बैक पेपर परीक्षा, जून-2022 के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-17 सन् 1962) की धारा-2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है, दिनांक 06 फरवरी, 2023 से 25 फरवरी, 2023 तक की अवधि के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
डा0 बी0 डी0 पॉल्सन,
सचिव।

February 09, 2023

No. 446/VI-P-9-23-20(10)(16)/88T.C.-In exercise of the power under Section-21 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act No-2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from February 06, 2023 till February 25, 2023 all the Superintendents of the centres of Even Semester Examination/Anual Examination/Back Paper Examination/Only Back Paper Examination December, 2022 conducted by Board of Technical Education, Uttar. Pradesh as defined in clause (n) of Section-2 of Uttar Pradesh Technical Education Act, 1962 (U.P. Act No.XVII of 1962) as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said code on such Executive Magistrate, to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By order,
Dr. B. D. PAULSON,
Sachiv.

अनुभाग–2
14 फरवरी, 2023 ई0
पदोन्नति/विज्ञप्ति

सं0 278/छः पु0से0-2-23-538(03)/2018–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13, (रु0 1,23,100-2,15,900) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	श्री प्रमोद कुमार तिवारी	आईपीएस-एसपीएस-2010	01-01-2023
2	डा0 धर्म वीर सिंह	आईपीएस-एसपीएस-0	01-01-2023
3	श्री अशोक कुमार-IV	आईपीएस-एसपीएस-0	01-01-2023
4	श्री प्रदीप गुप्ता	आईपीएस-एसपीएस-0	01-01-2023
5	डा0 ओम प्रकाश सिंह	आईपीएस-एसपीएस-0	01-01-2023

2–उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।

अनुभाग–1
24 फरवरी, 2023 ई0
विज्ञप्ति / नियुक्ति

सं0 188 / छः-पु0से0-2023-622(1) / 2007–उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उ0 प्र0 के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री ललित कुमार उपाध्याय (जन्मतिथि 01 दिसम्बर, 1993) पुत्र श्री सतीश उपाध्याय निवासी एस-7 / 53 भगतपुर शिवपुरी, वाराणसी को कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्था के आलोक में शासन के आदेश संख्या-1926 / छः-पु0से0-1-2022-622(1) / 2007 दिनांक 02 नवम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5400 / – (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रू0 56,100-1,57,700) में औपबन्धिक रूप से अस्थायी नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी, कि पुलिस सत्यापन एवं आचरण / स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो औपबन्धिक नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी। पुलिस सत्यापन एवं आचरण / स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाये जाने की स्थिति में उक्त औपबन्धिक नियुक्ति को नियमित नियुक्ति के रूप में तत्समय परिवर्तित कर दिया जायेगा।

2–जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-1187 / रा0स0(द्वितीय)-2022 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के आदेश संख्या–1834 / छः-पु0से0-1-2022-622(1) / 2007 दिनांक 02 अक्टूबर, 2022 के अनुपालन में श्री ललित कुमार उपाध्याय पुत्र श्री सतीश उपाध्याय, निवासी म0नं0-एस-7 / 53 भगतपुर, शिवपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी की जांच सहायक पुलिस आयुक्त, मुख्यालय कमिश्नरेट, वाराणसी से करायी गयी। सहायक पुलिस आयुक्त, मुख्यालय कमिश्नरेट, वाराणसी के पत्र संख्या-वीआर 1542 / 2022 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी श्री ललित कुमार उपाध्याय पुत्र सतीश उपाध्याय निवासी म0नं0 एस-7 / 53 भगतपुर शिवपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी के संबंध में स्थानीय थाना एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई से जाँचोपरान्त आवेदक के विरूद्ध थाना स्थानीय / अभिसूचना इकाई के अभिलेखों कि किसी अपराध आदि का होना नहीं पाया गया।

3–अतः सम्यक् विचारोपरान्त शासन के उक्त आदेश दिनांक 02 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री ललित कुमार उपाध्याय की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित नियुक्ति के रूप में परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

अनुभाग–2
03 मार्च, 2023 ई0
पदोन्नति / विज्ञप्ति

सं0 401 / छः पु0से0-2-23-522(84) / 2022–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्री सुवेन्द्र कुमार भगत, आईपीएस-आरआर-1998 को दिनांक 01 मार्च, 2023 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु0 1,82,200-2,24,100) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–वर्ष-1998 बैच के शेष अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश रिक्तियां उपलब्ध होने पर यथासमय पृथक से निर्गत किये जायेगें।

3–श्री सुवेन्द्र कुमार भगत, आईपीएस-आरआर-1998 की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–4 हिन्दी गजट–भाग 1–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अप्रैल, 2023 ई० (बैशाख 02, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप–18
ख नियम–20 का उपनियम (2),
(अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
16 मार्च, 2023 ई0

अधिसूचना संख्या 1419/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम जीहल में कुल 0.0378 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग पर सामाजिक सामाघात लागू नहीं है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर हसनपुर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल	गाटे की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	जीहल	1108	0.0378	स्थिति

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ठ एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के ..... (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा–11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ठ भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, अमरोहा।

DEPARTMENT OF IRRIGATION
FORM-18
[Sub-rule (2) of rule 20]
PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR
[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

March 16, 2023

Notification no. 1419/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023--Under sub-section (1) of section 11 of the Right to fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.0378 hectares of land is required in the Village Zeehal, Pargana Hasanpur, Tehsil Hasanpur, District Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body).

2. Social impact Assessment study was carried out by the state social impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government..x which has approved its recommendation on date……x…

3. The Summary of the Social impact Assessment Report as follows:

Under Section to 2(1) of the land Acquisition Act, 2013, Social Impact Assessment is not applicable on the Irrigation Department.

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under-

…….

Deputy Collector/Assistant Collector Hasanpur is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Zeehal	1108	0.0378

6. The Government is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within **(days) 60** after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A Plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,
Collector, Amroha.

प्रारूप–19

ख-नियम–27 का उपनियम (1),
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

10 अप्रैल, 2023 ई0

अधिसूचना संख्या–46/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023–उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़ (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा तहसील धनौरा परगना धनौरा ग्राम बागड पुरमाफी, सदरपुर, धनौरी माफी, बल्दाना असगर अली खॉ, बस्तौरी माफी, निपनियां, झनकपुरी, मुरीदपुर एवं अल्लीपुर भूड सुमाली में कुल 4.4226 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–883/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022,दिनांक 09.11.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 11 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर धनौरा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद अमरोहा तहसील धनौरा परगना धनौरा ग्राम बागडपुर माफी, सदरपुर, धनौरी माफी, बल्दाना असगर अली खॉ, बस्तौरी माफी, निपनियां, झनकपुरी, मुरीदपुर एवं अल्लीपुर भूड सुमाली में कुल 4.2070 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर का निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	धनौरा	धनौरा	बागडपुरमाफी	95	0.3608
				157/2	0.3710
				158	0.0396
				योग . .	0.7714
			सदरपुर	168	0.2196
				178	0.0770
				180	0.0672
				योग . .	0.3638
			धनौरीमाफी	298	0.0400
				196	0.0080
				योग . .	0.0480
			बल्दाना असगर अली खॉ	02	0.2346
				03	0.6055
				07	0.0032
				16	0.1300
				17	0.2650
				18 मि0	0.3289
				20मि0	0.1150
				योग . .	1.6822
			बस्तौरीमाफी	74	0.1541
				75	0.0084
				योग . .	0.1625
			निपनियां	163	0.2926
			झनकपुरी	48 मि0	0.0545
			मुरीदपुर	90	0.1440
				94	0.1104
				52	0.1200
				51	0.1104
				49	0.1888
				योग . .	0.6736
			अल्लीपुर भूड सुमाली	360	0.0192
				361	0.1020
				313	0.0372
				योग . .	0.1584
				कुल योग . .	**4.2070**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

––––––––––विस्थापित परिवारों की संख्या ''शून्य''––––––––––

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत–

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा तहसील धनौरा परगना धनौरा ग्राम बागड पुरमाफी, सदरपुर, धनौरी माफी, बल्दाना असगर अली खॉ, बस्तौरी माफी, निपनियां, झनकपुरी, मुरीदपुर एवं अल्लीपुर भूड सुमाली में कुल 4.2070 हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या–46/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023, दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोशणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है :

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
अमरोहा।

DEPARTMENT OF IRRIGATION
FORM-19
[Sub-rule (1) of rule 27]
DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR
[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]
NOTIFICATION
***April* 10, 2023**

NO 46/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023 Whereas Preliminary Notification No- 883/VIII-S.L.A.O./ Amroha/2022 Date 09.11.2022 was issued under sub-section (1) of section II of the right to fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 4.4226 hectares of land in Village Bagarpur Mafi, Sadarpur, Dhanouri Mafi , Baldana Asgar Ali Khan , Bastori Mafi, Nipniya, Jhanakpuri, Muridpur & Allipur Bhoor sumali Pargana Dhanora, Tehsil Dhanora, District Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body and laity published on dated 11.12.2022 The Deputy Collector Dhanora was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resentment of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 4.2070 hectares in Village Bagarpur Mafi, Sadarpur, Dhanouri Mafi , Baldana Asgar Ali Khan, Bastori Mafi, Nipniya, Jhanakpuri, Muridpur & Allipur Bhoor sumali Pargana Dhanora, Tehsil Dhanora, District Amroha as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Dhanora to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquistion)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Amroha	Dhanora	Dhanora	Bagarpur Mafi	95	0.3608
				157/2	0.3710
				158	0.0396
				Total . .	**0.7714**
			Sadarpur	168	0.2196
				178	0.0770
				180	0.0672
				Total . .	**0.3638**
			Dhanori Mafi	298	0.0400
				196	0.0080
				Total . .	**0.0480**
			Baldana Asgar Ali Khan	02	0.2346
				03	0.6055
				07	0.0032
				16	0.1300
				17	0.2650
				18 M	0.3289
				20 M	0.1150
				Total . .	**1.6822**
			Bastori Mafi	74	0.1541
				75	0.0084
				Total . .	**0.1625**
			Nipniya	163	0.2926
			Jhanakpuri	48 M	0.0545
			Muridpur	90	0.1440
				94	0.1104
				52	0.1200
				51	0.1104
				49	0.1888
				Total . .	**0.6736**
			Allipur Bhoor Sumali	360	0.0192
				361	0.1020
				313	0.0372
				Total . .	**0.1584**
				Grand Total . .	**4.2070**

SCHEDULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6

----------Nil----------

NOTE: A Plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR
[Under Sub-section (2) of section 19 of the Act]

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-14, Garhmukteshwar (Hapur) By the order of declaration made under Government Notification No 46/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023, Date 10.04.2023 for 4.2070 hectares of land in Village Bagarpur Mafi, Sadarpur, Dhanouri Mafi , BaldanaAsgar Ali Khan , Bastori Mafi, Nipniya, Jhanakpuri, Muridpur & Allipur Bhoor sumali Pargana Dhanora, Tehsil Dhanora, District Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

By order,
Collector, Amroha.

कार्यालय, जिलाधिकारी, मीरजापुर

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की अधिसूचना

12 अप्रैल, 2023 ई0

सं0-1809 / आठ–वि0भू0अ0अ0 (सिं0) मीरजापुर–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर मीरजापुर की राय है कि विन्ध्य कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत मॉ विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर में परिक्रमा मार्ग, प्रवेश द्वार, प्लाजा परकोटा एवं यात्री सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए जनपद मीरजापुर में ग्राम-कंतित व विन्ध्याचल उर्फ शरीफपुर का रकबा 0.0289 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Collector Mirzapur is of the opinion that under the Vindhya Corridor Project, the parikrama road, entrance, plaza parkota and For the construction of Passenger Facilitation Center, 0.0289 hectares of land is required in Mirzapur district of village- Kantit and Vindhyachal alias Sharifpur.

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

The Social Impact Assessment study has been done by the State Social Impact Assessment Agency, and its recommendation has been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government on date12-04-2023

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है–

''विन्ध्य कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत प्रवेश द्वार, प्लाजा परकोटा एवं यात्री सुविधा केन्द्र के निर्माण से नकारात्मक प्रभाव नगन्य है सकारात्मक प्रभाव काफी अधिक है। प्रभावित परिवारों को इस सामाजिक समाघात आंकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी समन प्रक्रिया को अपनाते हुए वांछित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। सामाजिक समाघात आंकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी समन प्रक्रिया के अनुसार भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत समस्त लाभ दिये जांये।

The summary of social impact assessment is as follows-

Under the Vindhya Corridor project, the negative impact due to the construction of entrance gate, plaza parkota and passenger facility center is negligible, the positive impact is quite high. The affected families should be required to acquire the desired land by following the process of summoning suggested in this Social Impact Assessment Report. According to the summoning process suggested in the Social Impact Assessment Report, the families affected by land acquisition, under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

No family is being displaced due to land acquisition.

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
मीरजापुर	सदर	कंतित	विन्ध्याचल उर्फ शरीफपुर	1242 / 1	0.0138
			कंतित	1638 / 1	0.0151

Therefore, the Governor is pleased to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purposes.

Schedule:-

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिये समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

Under Section 12 of the Act, governor instructs and authorizes collector to take necessary steps for the purpose of land acquisition specified and provisioned, and to survey the land, leveling for any land and do all necessary actions for proper implementation of the work

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर सोनभद्र/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

Under Section-15 of the Act, any person who has vested interest in the land, within 60 days of the publication of the notification, should submit an objection in writing to the Collector Sonbhadra/Special Land Acquisition Officer (Irrigation) Mirzapur against land acquisition in his area.

8–अधिनियम की धारा–11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

Under Section-11 (4) of the Act, from the date of publication of the notification, till the completion of the land acquisition proceedings, without the prior approval of the collector, no transaction and sale/purchase of the land specified in the preliminary notification or any encumbrance shall arise in that land.

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर मीरजापुर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

Comment–The topographical map of the said land can be seen in the office of Collector Sonbhadra/Special Land Acquisition Officer (Irrigation) Mirzapur.

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

24 मई, 2022 ई0

सं0 2595/सात-भूलेख/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनाँक 19 मई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति जरा के प्रस्ताव दिनाँक 11 मई, 2022 द्वारा ग्राम चकधाई में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 39 क्षेत्रफल 0.271 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम जरा में श्रेणी 5 (1) की भूमि गाटा संख्या 43 क्षेत्रफल 0.178 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये

मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति जरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	चकधाई	39	0.271 में से 0.160	श्रेणी 6-2 / खलिहान	39	0.160	श्रेणी 5-1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2			जरा	43	0.178	श्रेणी 5-1 / नवीन परती	43	0.178	श्रेणी 6-2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2596 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनाँक 26 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति विजुआपुर दिवारा के प्रस्ताव दिनाँक 16 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम तिरावली में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-115 क्षेत्रफल 0.279 हे0 में से 0.162 हे0 को ग्राम में अन्यत्र उपलब्ध श्रेणी-6 (4) की भूमि गाटा संख्या 29 क्षेत्रफल 1.222 हे0 में से 0.533 हे0 बेहड़ से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति विजुआपुर द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	तिरावली	115	0.279 में से 0.162	श्रेणी 6-2 / खलिहान	115	0.162	श्रेणी 6–4 / बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				29	1.222 में से 0.533	श्रेणी 6-4 / बेहड़	29	0.533	श्रेणी 6–2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

26 मई, 2022 ई0

सं0 2612 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनाँक 25 मई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति गायर के प्रस्ताव दिनाँक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा ग्राम गायर में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 214 क्षेत्रफल 0.713 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में अन्यत्र श्रेणी 5 (3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 461ख क्षेत्रफल 0.335 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति गायर द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौऩ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	गायर	214	0.713 में से 0.160	श्रेणी 6-4 / खलिहान	214	0.160	श्रेणी 5-3-ड़ / बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				461ख	0.335	श्रेणी 5-3-ड़ / बंजर	461ख	0.335	श्रेणी 6-4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2613 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनाँक 25 मई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति करतलापुर के प्रस्ताव दिनाँक 04 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम करतलापुर में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 117 क्षेत्रफल 0.259 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में अन्यत्र श्रेणी 5 (1) की भूमि गाटा संख्या 162 क्षेत्रफल 0.174 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति करतलापुर द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन् द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	करतलापुर	117	0.259 में से 0.160	श्रेणी 6–2 / खलिहान	117	0.160	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				162	0.174	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	162	0.174	श्रेणी 6–2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2614 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनाँक 28 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रिनियां के प्रस्ताव दिनाँक 07 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम रिनियां में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 586 क्षेत्रफल 0.312 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में अन्यत्र श्रेणी 6 (4) की भूमि गाटा संख्या 560 क्षेत्रफल 0.995 हे0 में से 0.160 हे0 ऊसर भूमि से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या–687 / एक-1-2020–20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा–59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति रिनियां द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	रिनियां	586	0.312 में से 0.160	श्रेणी 6–4 / खलिहान	586	0.160	श्रेणी 6–4 / ऊसर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				560	0.995 में से 0.160	श्रेणी 6–4 / ऊसर	560	0.160	श्रेणी 6–4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2615 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनाँक 24 मई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति मटरा के प्रस्ताव दिनाँक 27 नवम्बर, 2021 द्वारा ग्राम मटरा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 486 क्षेत्रफल 0.316 हे0 में से 0.162 हे0 को ग्राम में अन्यत्र उपलब्ध श्रेणी 5 (1) की भूमि गाटा संख्या 189 क्षेत्रफल 0.393 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016–दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020–20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति मटरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	मटरा	486	0.316 में से 0.162	श्रेणी 6–2 / खलिहान	486	0.162	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				189	0.393	श्रेणी 5–1 / नवीन परती	189	0.393	श्रेणी 6–2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 2616 / सात-भूलेख / डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016–दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	सर्र	430-मि0	0.208 में से 0.160	श्रेणी 6–4 / बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त ग्रामसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

02 जून, 2022 ई0

सं0 4/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	बंधा	127 128/1 129/1 **योग . .**	0.878 1.971 3.994 **6.843**	श्रेणी 6–4/बेहड़	कान्हा उपवन (पशुपालन विभाग) जनपद जालौन

उक्त गॉव सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग, पशुपालन विभाग जनपद जालौन के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 06/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनाँक 28 अप्रैल, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति खेड़ा मुस्तकिल के प्रस्ताव दिनाँक 04 अप्रैल, 2022 द्वारा ग्राम खेड़ा मुस्तकिल में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-16 क्षेत्रफल 0.837 हे0 में से 0.125 हे0 को ग्राम खेड़ा दिवारा में उपलब्ध श्रेणी-5(3)क की भूमि गाटा संख्या-51/1 क्षेत्रफल 0.125 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुर्नग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति खेड़ा मुस्तकिल द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	खेड़ा मुस्तकिल	16	0.837 में से 0.125	श्रेणी 6–2 / खलिहान	16	0.125	श्रेणी 5-3-क / बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				51 / 1	0.125	श्रेणी 5–3–क / बंजर	51 / 1	0.125	श्रेणी 6-2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

प्रियंका निरंजन,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

25 जून, 2022 ई0

सं0 28 / 8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	भुआ	412	0.162 में से 0.124	5-3-ड़ / बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त गाँव सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 29/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0 प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	उरई	कैथेरी	121	0.138	5-3-ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त गाँव सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुर्नग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 30/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनाँक 01 जून, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति बुढ़ावली के प्रस्ताव दिनाँक 02 मई, 2022 द्वारा ग्राम बुढ़ावली में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 121 क्षेत्रफल 0.271 हे0 को ग्राम बुढ़ावली में उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या 120 क्षेत्रफल 0.125 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, चॉदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति बुढ़ावली द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी बुढ़ावली द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	बुढ़ावली	121	0.271 में से 0.125	श्रेणी 6-2 / खलिहान	121	0.125	श्रेणी 5-1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				120	0.125	श्रेणी 5-1 / नवीन परती	120	0.125	श्रेणी 6-2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 31 / 8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनाँक 23 मई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति हैदलपुरा के प्रस्ताव दिनाँक 11 मई, 2022 द्वारा ग्राम गालमपुरा में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-181 क्षेत्रफल 0.134 हे0 को ग्राम में अन्यत्र उपलब्ध श्रेणी-5(2) की भूमि गाटा संख्या 44छ क्षेत्रफल 0.809 हे0 में से 0.134 हे0 पुरानी परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020–20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति हैदलपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	गालमपुरा	181	0.134	श्रेणी 6-2 / खलिहान	181	0.134	श्रेणी 5-2 / पुरानी परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	44छ	0.809 में से 0.134	श्रेणी 5-2 / पुरानी परती	44छ	0.134	श्रेणी 6-2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 32 / 8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	धामनी	360मि0	8.393 में से 0.160	6-4 / बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त गाँव सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

01 जुलाई, 2022 ई0

सं0 42/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	कोड़ाकिर्राही	277	हेक्टेयर 1.303 में से 0.160	5-1/ नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

19 जुलाई, 2022 ई0

सं0 62/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	जुगराजपुर मुस्तकिल	561 562ग 587घ 588 589ख 599ग **योग . .**	हेक्टेयर 0.575 3.344 1.275 0.930 6.987 5.957 **19.068**	6-4/ बेहड़	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र (पशुपालन विभाग उ0प्र0)

उक्त गॉवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग, पशुपालन विभाग उ0 प्र0 के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

20 जुलाई, 2022 ई0

सं0 64/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनाँक 06 जुलाई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति राहिया के प्रस्ताव दिनाँक 18 जून, 2022 द्वारा ग्राम सरसोंखी में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 42 रकवा 0.243 हे0 में से 0.090 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 6(4) की भूमि गाटा संख्या 124/10 क्षेत्रफल 6.431 हे0 में से 0.090 हे0 बेहड़ से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016–दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चॉदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति राहिया द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	सरसोंखी	42	0.243 में से 0.090	6-4/खलिहान	42	0.090	श्रेणी 6-4/बेहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	124/10	6.431 में से 0.090	6-4/बेहड़	124/10	0.090	श्रेणी 6-4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी उरई उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

स0 65/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 08 जुलाई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति पिण्डारी के प्रस्ताव दिनांक 22 जून, 2022 द्वारा ग्राम पिण्डारी में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलियान की भूमि की गाटा संख्या-573 रकवा 0.636 हे0 में से 0.093 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या 577 क्षेत्रफल 0.202 हे0 में से 0.093 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016–दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति पिण्डारी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	पिण्डारी	573	0.636 में से 0.093	6-4/खलिहान	573	0.093	श्रेणी 5-1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	577	0.202 में से 0.093	5-1/नवीन परती	577	0.093	श्रेणी 6-4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

स0 67/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016–दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016

द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	कोंच	मन्सुखपुरा	111	0.251 में से 0.089	5-1/ नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 69/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016–दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016–दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	जालौन	कालपी	कालपी	मुसमरिया	2253/3	0.162	5-3-ड़/ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 71/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 28 जून, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति सिरसा दोगढ़ी के प्रस्ताव दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा ग्राम सिरसा दोगढ़ी में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलियान की भूमि की गाटा संख्या-544 रकवा 0.547 हे0 में से 0.153 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-1096 क्षेत्रफल 0.040 हे0 नवीन परती एवं श्रेणी-5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या-30 क्षेत्रफल 0.113 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश सं0-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016–दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति सिरसा दोगढ़ी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	सिरसा दोगढ़ी	544	0.547 में से 0.153	6-4/ खलिहान	544	0.153	श्रेणी 5-(1)/ नवीन परती 5-(3)-ड़/ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				1096	0.040	श्रेणी 5-(1)/ नवीन परती	1096	0.040	श्रेणी 6-4/ खलिहान	
				30	0.113	5-3-ड़/ बंजर	30	0.113	श्रेणी 6-4/ खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 73/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 02 जुलाई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति बिरिया के प्रस्ताव दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 द्वारा ग्राम बिरिया माधौगढ़ में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलियान की भूमि की गाटा संख्या 69 रकवा 0.077 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ङ की भूमि गाटा संख्या 71 क्षेत्रफल 0.295 हे0 में से 0.077 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं चॉदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति बिरिया द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	बिरिया माधौगढ़	69	0.077	6–4/खलिहान	69	0.077	5–3–ङ/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				71	0.295 में से 0.077	5–3–ङ/बंजर	71	0.077	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

23 जुलाई, 2022 ई0

सं0 76/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 06 जुलाई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू के प्रस्ताव दिनांक 22 जून, 2022 द्वारा ग्राम रूरा अड्डू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलियान की भूमि

की गाटा संख्या 262 रकवा 0.320 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या 94/1 क्षेत्रफल 0.210 हे0 में से 0.160 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	रूरा अड्डू	262	0.320 में से 0.160	श्रेणी 6–2/खलिहान	262	0.160	श्रेणी 5–1/नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				94/1	0.210 में से 0.160	श्रेणी 5–1/नवीन परती	94/1	0.160	श्रेणी 6–2/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी उरई उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 78/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनाँक 18 जुलाई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति ऐदलपुर के प्रस्ताव दिनाँक 04 मई, 2022 द्वारा ग्राम ऐदलपुर में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलियान की भूमि की गाटा संख्या 262 रकवा 0.255 हे0 में से 0.092 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ङ की भूमि गाटा संख्या 203ङ क्षेत्रफल 0.182 हे0 में से 0.092 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने

की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति ऐदलपुर द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	ऐदलपुर	292	0.255 में से 0.092	श्रेणी 6–2/खलिहान	292	0.092	श्रेणी 5–3–ङ/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				203ङ	0.182 में से 0.092	श्रेणी 5–3–ङ/बंजर	203ङ	0.092	श्रेणी 6–2/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

22 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 166/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 14 नवम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति कुदारी माधौगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा ग्राम कुदारी माधौगढ़ में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलियान की भूमि की गाटा संख्या-410 क्षेत्रफल 0.429 हे0 में से 0.160 हे0 ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या-639 क्षेत्रफल-0.688 हे0 में से 0.160 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का

पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति कुदारी माधौगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	कुदारी माधौगढ़	410	0.429 में से 0.160	श्रेणी 6-4/खलिहान	410	0.160	श्रेणी 5-1/नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				639	0.688 में से 0.160	श्रेणी 5-1/नई परती	639	0.160	श्रेणी 6-4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 167/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनांक 18 जुलाई, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति ऊमरी मुस्तकिल के प्रस्ताव दिनांक 04 मई, 2022 द्वारा ग्राम ऊमरी मुस्तकिल में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलियान की भूमि की गाटा संख्या-201 क्षेत्रफल 0.100 हे0 को ग्राम मसगाँव मुस्तकिल में उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा संख्या-13 क्षेत्रफल 0.166 हे0 में से 0.100 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति ऊमरी मुस्तकिल द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	ऊमरी मुस्तकिल	201	0.100	श्रेणी 6-4 / खलिहान	201	0.100	श्रेणी 5-1 / नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	ऊमरी मुस्तकिल	13	0.166 में से 0.160	श्रेणी 5-1 / नवीन परती	13	0.100	श्रेणी 6-4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

19 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 181/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति बावली के प्रस्ताव दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा ग्राम बावली में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलियान की भूमि की गाटा संख्या 223 क्षेत्रफल 0.162 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या 57/4 क्षेत्रफल 0.161 हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति बावली द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	बावली	223	0.162	श्रेणी 6-4 / खलिहान	223	0.162	श्रेणी 5-1 / नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				57 / 4	0.161	श्रेणी 5-1 / नई परती	57 / 4	0.161	श्रेणी 6-4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 182 / 8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति परासनी के प्रस्ताव दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 द्वारा ग्राम परासनी में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-231 / 2 क्षेत्रफल 0.154 हे0 में से 0.140 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5-3-ख की भूमि गाटा संख्या-461 क्षेत्रफल 0.105 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पश्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति परासनी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	परासनी	231/2	0.154 में से 0.140	श्रेणी 6-4/खलिहान	231/2	0.140	श्रेणी 5-1-ख/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2				461	0.105	श्रेणी 5-1-ख/बंजर	461	0.105	श्रेणी 6-4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

26 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 184/8-डी0एल0आर0सी0—उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति पचीपुरा कलां के प्रस्ताव दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 द्वारा ग्राम पचीपुरा कलां में सीवरेज सम्बन्धी कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (नागर) उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या-233 क्षेत्रफल-0.445 हे0 को ग्राम कुंवरपुरा कोंच में उपलब्ध श्रेणी 5-3-ड़ की भूमि गाटा संख्या-75 क्षेत्रफल 0.704 हे0 में से 0.501 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की भाक्तियॉ और धारा-101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पश्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी-6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति पचीपुरा कलां द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालौन	कोंच	पचीपुरा कलां	233	0.445 हे0	श्रेणी 6-4 / खलिहान	233	0.445 हे0	श्रेणी 5-3-ड़ / बंजर	स्वच्छ भारत मिशन / Used Water Management STP (उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय)
2			कुंवरपुरा कोंच	75	0.704 हे0 में से 0.501 हे0	श्रेणी 5-3-ड़ / बंजर	75	0.501 हे0	श्रेणी 6-4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 185 / 8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या–32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0 प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	तरीबुल्दा	67 / 1	हेक्टेयर 2.953 हे0 में से 0.500 हे0	6–4 / बेहड़	स्वच्छ भारत मिशन / Used Water Management STP (उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय)

उक्त ग्राम / स्थानीय प्राधिकरण की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 186 / 8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति परतापपुरा के प्रस्ताव दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 द्वारा ग्राम परतापपुरा में सीवरेज सम्बन्धी कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (नागर) उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलिहान

की भूमि की गाटा संख्या 115 क्षेत्रफल 0.417 हे0 को ग्राम बिरिया बुजुर्ग में उपलब्ध श्रेणी 5–3–ड़ की भूमि गाटा संख्या 275/0.097 हे0, 328ख/0.081 हे0, 435/0.073, 520ख/0.081 हे0, 279/0.040 हे0, 309ख/0.024 हे0 एवं 405ग/0.036 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की भाक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति परतापपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	परतापपुरा	115	0.417 हे0	6(2)/खलिहान	115	0.417 हे0	5(3)ड़/बंजर	स्वच्छ भारत मिशन/Used Water Management STP (उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय)
2			बिरिया बुजुर्ग	275	0.097 हे0	5(3)ड़/बंजर	275	0.097 हे0	6(2)/खलिहान	
				328ख	0.081 हे0	‘‘	328ख	0.081 हे0	‘‘	
				435	0.073 हे0	‘‘	435	0.073 हे0	‘‘	
				520ख	0.081 हे0	‘‘	520ख	0.081 हे0	‘‘	
				279	0.040 हे0	‘‘	279	0.040 हे0	‘‘	
				309ख	0.024 हे0	‘‘	309ख	0.024 हे0	‘‘	
				405ग	0.036 हे0	‘‘	405ग	0.036 हे0	‘‘	
				7किता	**0.432 हे0**		**7किता**	**0.432 हे0**		

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

27 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 187/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कोंच की आख्या दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति खुटैला के प्रस्ताव दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 द्वारा ग्राम शाहपुरा में सामुदायिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जालौन की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 465 क्षेत्रफल 0.384 हे0 में से 0.028 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5-3-ड़ की भूमि गाटा संख्या 130/2 क्षेत्रफल 1.011 हे0 में से 0.028 हे0 बंजर (दीगर दरख्वान की झाड़ी) से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या–687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा–59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा–77 की उपधारा–2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पश्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति खुटैला द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कोंच द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	शाहपुरा	465	0.384 हे0 में से 0.028 हे0	श्रेणी 6–4/खलिहान	465	0.028 हे0	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	समुदायिक केन्द्र (ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0)
2	''	''	''	130/2	1.011 हे0 में से 0.028 हे0	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	130/2	0.028 हे0	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कोंच उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

28 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 193/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी जालौन की आख्या दिनांक 07 नवम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति पीपरी गहरवार के प्रस्ताव दिनांक 13 जून, 2022 द्वारा ग्राम पीपरी गहरवार में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 237 क्षेत्रफल 1.822 हे0 में से 0.162 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(1) की भूमि गाटा संख्या 374मि0 क्षेत्रफल 1.190 हे0 में से 0.162 हे0 नई परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या–687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति पीपरी गहरवार द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	कोंच	पीपरी गहरवार	237	1.822 में से 0.162	श्रेणी 6–4/खलिहान	237	0.162	श्रेणी 5–1/नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	''	''	''	374 मि0	1.190 में से 0.162	श्रेणी 5–1/नई परती	374 मि0	0.162	श्रेणी 6–4/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी जालौन उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 195/8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति बरसार के प्रस्ताव दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 द्वारा ग्राम बरसार में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 1001 क्षेत्रफल 0.247 हे0 में से 0.081 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5(3)ड़ की भूमि गाटा संख्या 978/3 क्षेत्रफल 0.101 हे0 में से 0.081 हे0 बंजर से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग

हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पश्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति बरसार द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	उरई	बरसार	1001	0.247 में से 0.081	श्रेणी 6–2/खलिहान	1001	0.081	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	''	''	''	978/3	0.101 में से 0.081	श्रेणी 5–3–ड़/बंजर	978/3	0.081	श्रेणी 6–2/खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी उरई उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

03 जनवरी, 2023 ई0

सं0 200/8-डी0एल0आर0सी0-उपजिलाधिकारी माधौगढ़ की आख्या दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति चाकी के प्रस्ताव दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 द्वारा ग्राम चाकी में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (2) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 984 क्षेत्रफल 0.939 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5-1 की भूमि गाटा संख्या 527/3 क्षेत्रफल 0.162 हे0 नई परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये

मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति चाकी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी माधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	चाकी	984	0.939 में से 0.160	श्रेणी 6–2 / खलिहान	984	0.160	श्रेणी 5–1 / नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	527 / 3	0.162	श्रेणी 5–1 / नई परती	527 / 3	0.162	श्रेणी 6–2 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी माधौगढ़ उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

सं0 201 / 8-डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 एवं भूमि प्रबन्धक समिति नाका के प्रस्ताव दिनांक 24 नवम्बर, 2022 द्वारा ग्राम नाका में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6 (4) खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 221 क्षेत्रफल 1.032 हे0 में से 0.160 हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी 5-3-ड़ की भूमि गाटा संख्या 466 क्षेत्रफल 0.190 हे0 में से 0.160 हे0 बंजर भूमि से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या 11 / 2020 / 689 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या–687 / एक-1-2020–20(5) / 2016 दिनाँक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियॉ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियॉ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पश्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण / श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हुये मैं चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, अधोलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6 (4) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति नाका द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी कालपी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालौन	कालपी	नाका	221	हेक्टेयर 1.032 में से 0.160	श्रेणी 6–4 / खलिहान	221	हेक्टेयर 0.160	श्रेणी 5–3–ड़ / बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0
2	,,	,,	,,	466	0.190 में से 0.160	श्रेणी 5–3–ड़ / बंजर	466	0.160	श्रेणी 6–4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करती हूँ कि उपजिलाधिकारी कालपी उपरोक्त भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन / विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

11 जनवरी, 2023 ई0

सं0 207 / 8-डी0एल0आर0सी0-शासनादेश संख्या–32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0 प्र0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण– (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	जालौन	जालौन	उरगाँव	578	हेक्टेयर 0.396 में से 0.160	5–1 / नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0

उक्त गाँव सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

चाँदनी सिंह,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

07 नवम्बर, 2022 ई0

सं0-4851/जी0-181/66—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/ आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1342/जी0-610/2012 दिनांक 24 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4852/जी0-215/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम चितीबोझी घंश्यामपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1097/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 तद्नुसार विज्ञप्ति-शुद्धि पत्र संख्या-7193/जी0-610/84 दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4853/जी0-215/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रेहरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2419/जी0-610/2016-17 दिनांक 01 मई, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

10 नवम्बर, 2022 ई0

सं0-4882/जी0-232/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील मवाना, जनपद मेरठ के ग्राम अस्करीपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2352/जी0-610/2012 दिनांक 16 जून, 2015 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

14 नवम्बर, 2022 ई0

सं0-4910/जी0-168/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम बैजलपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-4912/जी0-226/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिधूना, जनपद औरैया के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-6288/जी0-226/62-08 दिनांक 31 मार्च, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	औरैया	बिधूना		1—नगला भारामल 2—बहारिया

28 नवम्बर, 2022 ई0

सं0-5115/जी0-धारा-6(1)/2018-19(III)—रिट याचिका संख्या-1016/बी0/2021 बलवन्त सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2021 के समादर में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या-6992/वि0प्र0/सा0 दिनांक 02 नवम्बर, 2022 द्वारा ग्राम मदपुरी, परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर में उ0 प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-17 में उल्लिखित गुटबन्दी की परिस्थितियां विद्यमान होने के

कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 23 सितम्बर, 2021 निस्तारित कर दिया गया हैं।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम मदपुरी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2994/जी0-610/ 2016-17 दिनांक 14 जुलाई, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

30 नवम्बर, 2022 ई0

सं0-5156/जी0-225/2022-23/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खागा, परगना एकडला, जनपद फतेहपुर के ग्राम शेषपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5157/जी0-170/2022-23/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सवायजपुर, परगना साण्डी, जनपद हरदोई के ग्राम पलिया पश्चिम पंचशाला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5158/जी0-229/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर जनपद अमरोहा के ग्राम भीमाठीकरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5159/जी0-28/2022-23–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी, परगना कोट, जनपद बदायूँ के ग्राम बादशाहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5160/जी0-166A/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम लाखुन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5161/जी0-232/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मवाना, परगना हस्तिनापुर, जनपद मेरठ के ग्राम जमालपुर खादर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5162/जी0-168A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम गिधारा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5163/जी0-33बी/2018-19—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ के ग्राम कन्दौली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2656/जी0-610/2012 दिनांक 11 जुलाई, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-5173/जी0-158ए/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के ग्राम भगवन्तपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1426/जी0-610/2012 दिनांक 25 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

01 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0-5187/जी0-610/2016-17—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्न जनपद के ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है—

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	हरदोई	बिलग्राम	मल्लावाँ	गंज जलालाबाद

02 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0-5205/जी0-163/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मेजा परगना खैरागढ़, जनपद प्रयागराज के ग्राम बसहरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5208/जी0-158ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0 एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ, परगना तालग्राम, जनपद कन्नौज के ग्राम ऊमरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5206/जी0-125/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0 एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशितहोने के दिनांक से तहसील व परगना अमेठी जनपद अमेठी के ग्राम मई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5207/जी0-361/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0 एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना जफराबाद जनपद जौनपुर के ग्राम आराजीदरीबा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5213/जी0-157/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0 एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशितहोने के दिनांक से तहसील हर्रैया परगना अमोढ़ा जनपद बस्ती के ग्राम आराजीडूहीधर्मपुर मुस्तहकम, तप्पा दुबौलिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-5214/जी0-157/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0 एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हर्रैया परगना नगर पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम पोखरामय हसनपुर, तप्पा नवाई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

03 जनवरी, 2023 ई0

सं0-40/जी0-176/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सकलडीहा, जनपद चन्दौली के ग्राम टान्डा कलां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-5651/जी0-176/66 दिनांक 27 अगस्त, 2002 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-41/जी0-205/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम नसीरपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1342/जी0-610/2012 दिनांक 24 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-42/जी0-250/2022-23/धारा-6(1)—रिट याचिका संख्या-बी0/1543/2022 महावीर व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई, 2022 के समादर में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या-7086/वि0प्र0/सा0 दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 द्वारा ग्राम साहबा मजरा, तहसील नकुड़, जनपद सहारनुपर में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-17 में उल्लिखित गुटबन्दी की परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 03 अगस्त, 2022 निस्तारित कर दिया गया हैं।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-

813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर के ग्राम साहबा मजरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

04 जनवरी, 2023 ई0

सं0-46/जी0-355/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अमरोहा, जनपद अमरोहा के ग्राम नौरंगी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1881/जी0-355/60-08 दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-48/जी0-229/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3429/जी0-229/62-06 दिनांक 15 सितम्बर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	अमरोहा	हसनपुर		1—सिरसा गूजर मु0 2—माछरा भगवानपुर

सं0-49/जी0-161ए/2022-23/धारा-6(1)—रिट याचिका संख्या-804/बी0/2022 अमृत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04 जुलाई, 2022 के समादर में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या-7102/वि0प्र0/सा0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 द्वारा ग्राम बिझौरा, तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-17-ग में उल्लिखित गुटबन्दी की परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 16 अगस्त, 2022 निस्तारित कर दिया गया हैं।

अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट के ग्राम बिझौरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-5454/जी0-610/2012 दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-51/जी0-181/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद रामपुर के ग्राम फैजुल्लानगर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1011/जी0-610/2016-17 दिनांक 16 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-53/जी0-38ए/2016-17—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कन्नौज, जनपद कन्नौज के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं:

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	1—परसपुर 2—मीरपुर

सं0-54/जी0-152ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कादीपुर, परगना अल्देमऊ, जनपद सुलतानपुर के ग्राम चांदनैया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-55/जी0-227/62—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशितहोने के दिनांक से तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, जनपद संतकबीर नगर के ग्राम चन्दनी, तप्पा उतरावल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-67/जी0-152-B/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जयसिंहपुर, परगना अल्देमऊ, जनपद सुलतानपुर के ग्राम बीबीपुर शुकुल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-68/जी0-229/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम काई मुस्तहकम में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-69/जी0-166/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, परगना खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम लगुचा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-70/जी0-201/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, परगना कन्तित, जनपद मीरजापुर के ग्राम खरिहटखुर्द, तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-71/जी0-155/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां, जनपद सीतापुर के ग्राम बहेरवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-72/जी0-201/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना कन्तित, जनपद मीरजापुर के ग्राम जलालपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-73/जी0-250/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेहट, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद सहारनपुर के ग्राम भोखूपुर मुजाहिदपुर अहतमाल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

05 जनवरी, 2023 ई0

सं0-75/जी0-164/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-676/जी0-610/2016-17 दिनांक 09 फरवरी, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	कौशाम्बी	चायल		1—युसुफपुर तालुका पुरखास 2—कटैया 3—श्यामपुर उर्फ मल्हीपुर

10 जनवरी, 2023 ई0

सं0-126/जी0-181/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धुरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम बारीपुर तप्पा शाहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

23 जनवरी, 2023 ई0

सं0-255/जी0-52(1)/2018-19(आपत्ति)(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, परगना सलेमपुर मझौली, जनपद देवरिया के ग्राम चौरिया, तप्पा घाटी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

27 जनवरी, 2023 ई0

सं0-340/जी0-28/2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी, परगना सहसवान, जनपद बदायूं के ग्राम रम्पुरा ऐनुद्दीन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-341/जी0-229/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम मथाना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-342/जी0-266/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चौरी चौरा, परगना हवेली, जनपद गोरखपुर के ग्राम चौरी तप्पा केवटली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

02 फरवरी, 2023 ई0

सं0-497/जी0-158/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर के ग्राम लहटौरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2995/जी0-610/2016-17 दिनांक 25 जुलाई, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

03 फरवरी, 2023 ई0

सं0-504/जी0-155/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां, जनपद सीतापुर के ग्राम सहेरूवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-505/जी0-170/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सवायजपुर, परगना बरवन, जनपद हरदोई के ग्राम बरवन नसेब में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

23 फरवरी, 2023 ई0

सं0-698/जी0-188/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धुरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम झिनखिनी तप्पा बेलघाट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-703/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम महारतपुर कला में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-704/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2656/जी0-610/2012 दिनांक 11 जुलाई, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	बिजनौर	नगीना		1—सिक्कावाला 2—तैय्यबपुर 3—बासूवाला

सं0-705/जी0-168/59—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बरतारा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2656/जी0-610/2012 दिनांक 11 जुलाई, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-708/जी0-38ए/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज के ग्राम रितुकाला में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2830/जी0-610/2016—17 दिनांक 28 जून, 2016 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-709/जी0-38/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के ग्राम सराय गोपाल में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1426/जी0-610/2012 दिनांक 25 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सुधीर गर्ग,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

16 मार्च, 2023 ई0

सं0-974/जी0-172/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना आंवला जनपद बरेली के ग्राम देवी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-975/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना, जनपद औरैया के ग्राम बाऊखेड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-976/जी0-257/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, परगना सलेमपुर मझौली, जनपद देवरिया के ग्राम मेहरौना तप्पा हवेली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-977/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना, जनपद औरैया के ग्राम सुरैन्धा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-978/जी0-176A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चकिया, परगना केरामगरौर, जनपद चन्दौली के ग्राम दाउदपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-979/जी0-48/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना मुहम्मदाबाद, जनपद आजमगढ़ के ग्राम नैठी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-980/जी0-229/60-06(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम रहरई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-981/जी0-176/2022-23/धारा—52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सकलडीहा, परगना महुआरी, जनपद चन्दौली के ग्राम सैदपुरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-982/जी0-15/2022-23/धारा—52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना, परगना जगदीशपुर, जनपद अमेठी के ग्राम सिंघनामऊ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-983/जी0-362ए/2022-23/धारा–52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवां, परगना हवेली, जनपद महराजगंज के ग्राम हरैया खुर्द तप्पा लेहडा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-984/जी0-181/66/2020-21–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धूरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम गुवारी तप्पा बेलघाट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-985/जी0-351/2022-23/धारा–52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बलिया, जनपद बलिया के ग्राम बैरिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-986/जी0-181/2021-22–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धूरियापार, जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	गोरखपुर	खजनी	धूरियापार	1–लाखुन बुजुर्ग तप्पा शाहपुर 2–नरायनपुर तप्पा शाहपुर

सं0-987/जी0-363/2018-19–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासिमाबाद, परगना जहूराबाद, जनपद गाजीपुर के ग्राम रामपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-988/जी0-201/2022-23/धारा–52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि

इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना कंतित, जनपद मीरजापुर के ग्राम कोल्हुआ भोज तप्पा कोन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-989/जी0-48/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0 एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना मुहम्मदाबाद, जनपद आजमगढ़ के ग्राम मुरारपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-990/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0 एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना, जनपद औरैया के ग्राम नगला कायस्थान में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

17 मार्च, 2023 ई0

सं0-999/जी0-610/2016-17—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4 की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्न जनपद के ग्राम में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय किया गया हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	गोरखपुर	सदर	हवेली	नौवाअव्वल तप्पा

20 मार्च, 2023 ई0

सं0-1023/जी0-28/2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी, परगना सहसवान, जनपद बदायूं के ग्राम मुडिया नन्दा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

21 मार्च, 2023 ई0

सं0-1073/जी0-168A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम उपाध्यायपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1074/जी0-166A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम गुदरिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1075/जी0-166A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौरहरा, परगना फिरोजाबाद, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम समैसा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1079/जी0-227/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खलीलाबाद, परगना मगहर पूरब, जनपद संतकबीरनगर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	संतकबीरनगर	खलीलाबाद	मगहर पूरब	1—पिहुलाखोर तप्पा उतरावल 2—बढया तप्पा उतरावल

सं0-1080/जी0-166/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, परगना खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सिरैंचा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1081/जी0-226/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना, जनपद औरैया के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	औरैया	बिधूना	बिधूना	1—मकरन्दपुर 2—फैजुल्लापुर

सं0-1082/जी0-151/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर, परगना कुर्सी, जनपद बाराबंकी के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	फतेहपुर	फतेहपुर	कुर्सी	1—कसगांव 2—अखईपुर

सं0-1083/जी0-152B/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील जयसिंहपुर, परगना अल्देमऊ, जनपद सुलतानपुर के ग्राम सैदपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1084/जी0-362ए/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवां, परगना हवेली, जनपद महराजगंज के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	महराजगंज	नौतनवां	हवेली	1—करमहवा खुर्द 2—परसादया राम

सं0-1085/जी0-362ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवां, परगना हवेली, जनपद महराजगंज के ग्राम सरंगापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1086/जी0-201/2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना कंतित, जनपद मीरजापुर के ग्राम बघरा तिवारी तप्पा छानबे में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी है।

सं0-1087/जी0-153/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन, परगना परशदेपुर, जनपद रायबरेली के ग्राम सरायं मानिक में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1088/जी0-153/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा

शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन, परगना रोखा, जनपद रायबरेली के ग्राम सरायं में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1089/जी0-331/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नवाबगंज, जनपद बरेली के ग्राम नौगवां भगवन्तपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1090/जी0-166A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम दरिगापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

22 मार्च, 2023 ई0

सं0-1122/जी0-152/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लम्भुआ, परगना चांदा, जनपद सुलतानपुर के ग्राम अरजो में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1123/जी0-167A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं :

अनुसूची

क्र0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम
1	2	3	4	5
1	कानपुर	भोगनीपुर	भोगनीपुर	1—देवब्रह्मा पुर 2—बरगंवा 3—मुरलीपुर

प्रभु एन0 सिंह,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—4 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अप्रैल, 2023 ई० (बैशाख 02, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर

मानक उपविधि (STANDARD BYE-LAWS)

14 मार्च, 2023 ई0

सं0 710/तेईस-2022-23–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर में ग्राम्य क्षेत्र जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक-क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है–

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम्य का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन की मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राईंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किय गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसकों ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊँचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गई लम्बवत पर (Vertical) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मम्टी, मशीन रूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसी ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामन्यतयः सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस, व्यवस्था से है, जिसका निर्माण कसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है जहाँ पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग को तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है।

(अ) अभियन्ता–अभियन्ता, जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर से है।

(ब) अवर अभियन्ता–इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीको से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊँचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गई खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर से है।

24–बहु मंजिला भवन (Multystory) चार मंजिला अथवा 15 मी० से अधिक ऊँचाई का भवन बहुल मंजिला कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थाई प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है जो किसी भी प्रकार की सामाग्री से निर्माण किया जाए एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी, क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरामदा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट,

शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नही होगें।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होगें जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शायन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प,कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हो और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामाग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रसायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामाग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रस्तुत किया जाता हों।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चहारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है जहॉ पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़ें हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हों। '

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नही है, का तात्पर्य वही होगा जोकि ऐसे शब्दों का (National bulding code), एवं (Bureau of Indian standards) यथासंशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगें।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, सन्त कबीर नगर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगा।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी की शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नही होगी परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोशन के लिए। .

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुर्ननिर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गडढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा ।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा।

ले-आउट प्लान का पैमाना 1.500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1.1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1.100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमाएं उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेन्ट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहुमंजिली भवन (Multy Story) चार मंजिल अथवा 15 मी० से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी।

4–अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी अग्नि सुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)

5–निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावित भवन का उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न हैं।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उसमें किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगो की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annouyance) अथवा आस-पास रहने वालो के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technacal Instructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पाकिंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मी0 ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत पर छज्जां अधिकतम क्रमशः 0.45 मी0 एवं 0.75 मी0 चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नही किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मी0 तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मी0 होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट संन्निकट प्लाट से 2.00 मी0 दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहुमंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods) मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (Natioanl building code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लाक में न्यूनतम 6.0 मी0 से 16.0 मी0 की दूरी होगी। भवन की 18.0 मी0 ऊँचाई तक 6.0 मी० इसके पश्चात् प्रत्येक

3.0 मी0 अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लाक की दूरी.1.0 मी0 बढाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0मी0 होगी।

(छ) बहुमंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्राविधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मी0 होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष,सुरक्षा मचान, सुरक्षा केविन, गार्डरूम, टॉयलेट ब्लाक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मी0 एवं 9.5 वर्ग मी0 से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊचाई 2.40 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मी0 आकार 1.80 मी0 एवं 5.00 वर्ग मी0 से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (TOILET) का आकार 1.20 मी0 एवं 2.20 वर्गमी0 से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मी0 एवं इससे अधिक ऊंचे भवन में 1.50 मी0 से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टोट-लोटस लैंडस्कैप आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मी0 तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत, का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील विस्फोटक सामाग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ड) रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मी0 के भू-आच्छादन (GROUND COVERAGE) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मी0 के भू-आच्छादन (GROUND COVERAGE) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची

लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एंव फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) के मानक निम्नवत होंगें।

क्र0 सं0	भवन एंव भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
1	क. आवासीय भवन-भू-खण्ड 500 वर्ग मी0 तक	80	3.00	15	15
	ख. आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2,000 वर्ग मी0 तक	65	4.00	15	15

1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	**व्यवसायिक भवन–**				
	(क) सुविधा (Concenient) शापिंग केन्द्र माल्स, व्यवसायिक केन्द्र होटल	40	2.50	30	21
	(ख) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(ग) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(घ) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5	**संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन–**				
	1–सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि।	50	1.50	24	15
	2–हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, नर्सरी, स्कूल, क्रेच, सेन्टर आदि।	50	1.50	24	15
	3–हास्पिटल, डिस्पेन्सरी, चिकित्सालय लैंब नर्सिग होम आदि।	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
	(क) सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन, केन्द्र डाकघर, पुलिस स्टेशन,	30	1.50	15	10
	(ख) धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हास्टल	40	2.50	15	10
	(ग) धर्मकांटा,पेट्रोलपम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉपोरेट एंव अन्य कार्यलय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एंव मनोरंजन काम्पलेक्स सूंटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बसडिपों कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (Set back)

क्र0 सं0	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	सामने (Front)	साईट (Front)	पीछे (Front)	लैंड स्केपिंग (Land scaping)	खुला स्थान तक
1	2	3	4	5	6	7
		मीटर	मीटर	मीटर		प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मी0	25
2	151–300	3.0	0	3.0		25
3	301–500	4.5	3.0	3.0		25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0		25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0		25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0		25

1	2	3	4	5	6	7
		मीटर	मीटर	मीटर		प्रतिशत
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5		50
8	20001–40000	15.0	9.0	9.0		50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0		50

(झ) पार्किंग स्थान

क्र0सं0	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थल
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक (ECU) प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एंव भौक्षणिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवासायिक भवन	एक (ECU) प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एंव सांस्कृतिक केन्द्र	एक (ECU) प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक (ECU) प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हास्पिटल नर्सिग होम	एक (ECU) प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR)का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक (ECU) प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक (ECU) प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR)का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

1–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संथागत एवं शैक्षणिक भवन व्यवसायिक भवन हास्पिटल, नसिंग होम, सिनेमा मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकाश हेतु एक जीना बाहर की .दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होगें। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री के दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमे दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.0मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carrage way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने के न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मी0 ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी० राईजर अधिकतम 19 से0मी0 एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौडाई 28 से0मी0 राइजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फलाइट में अधिकतम राइजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

4–अग्नि निकास जीने तक पहुच दूरी 15 मी0 से अधिक न होनी चाहिए।

5–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नही किया जायेगा।

6–उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

7–उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (NATIONAL BUILDING CODE) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एडं होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्गो के संकेत चिन्ह्, फायर मैन, स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कार्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी	क्षैतिज दूरी
1	2	3	4
		मीटर	मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन–33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, लाईन	3.7 + (0.305 मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305 मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साईलेंट' प्रकृति के होगें तथा भू-तल पर ही लगाएं जायेगें।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहां अपेक्षित हो, वहा टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा आपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा करानें होगें। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होगें।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नही की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन–

सूची (।) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदों में यह दर 25 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी।

(ख) व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन–

सूची (।) के अनुसार जनपदो में–सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100.00 प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदो में यह दर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) 1–भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

2–भूमि विकास–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

3–भूमि का उपयोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे–निर्माण सामग्री, कटेंनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

4–किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तल-पट मानचित्र) उपरोक्त 1 से 4 तक सूची (।) के अनुसार जनपदों में 20 रूपये प्रति वर्ग मीटर, तथा अन्य जनपदों में यह दर रु0 10.00 प्रति वर्गमीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगीं।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगीं।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत से नक्शे की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन की उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) सूची (।) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20.00 प्रति वर्गमीटर एवं अन्य जनपदों में रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगीं।

(ण) सूची (।) के अनुसार जनपदों में बाउण्ड्री वाल स्वीकृति की दरें रु0 10.00 प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में रु0 5.00 प्रति मीटर होगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संत कबीर नगर के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतीकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल प्रभाव से भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरांत बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय-भवन एंव शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा परित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरांत ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenince) साध्यता (Feasibility) तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाए जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Crose Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग पत्र जारी करेगें। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। '

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तो के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नही किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवादः–

उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्ही कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Indtrutions)

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एंव पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नही दी जायेगी। 200 मीटर से 1.50 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2–भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

5–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुबिधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुबिधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा

4–निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5.00 किमी० की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिर्वतन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होगे।

8–इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर0पी०सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शे में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, संत कबीर नगर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 (पचास मात्र) प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

योगेश्वर राम मिश्र,
आयुक्त,
बस्ती मण्डल, बस्ती।

शुद्धि-पत्र

22 मार्च, 2023 ई0

सं0 1281/एल0बी0ए0 (उपविधि)/2023—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, बलरामपुर द्वारा जनपद बलरामपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें, व्यापारियों/दुकानदार/फर्म/कारखाना मालिक आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु शासन के पत्र संख्या 1152/33—2—2017—62जी/17 पंचायती राज अनुभाग-2, लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के अनुरूप उपविधि बनायी गयी है जो जिला पंचायत बलरामपुर की बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है। जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा उक्त उपविधि के जनसामान्य हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किया गया परन्तु कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् उक्त उपविधि को शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु कार्यालय आदेश संख्या 1062/एल0बी0ए0 (उपविधि)/2022, दिनांक 12 जनवरी, 2023 को अनुमोदित किया गया है जो सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में दिनांक 25 फरवरी, 2023 को प्रकाशित किया गया है। उक्त गजट प्रकाशन में अनुमोदन दिनांक 12 जनवरी, 2022 टंकित हो गया है जो दिनांक 12 जनवरी, 2023 होना चाहिये। तद्नुसार सरकारी गजट में अंकित दिनांक 12 जनवरी, 2022 ई0 के स्थान पर दिनांक 12 जनवरी, 2023 ई0 पढ़ा जाये।

एम0 पी0 अग्रवाल,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

पी0एस0यू0पी0—4 हिन्दी गजट—भाग 3—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 अप्रैल, 2023 ई० (बैशाख 02, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का नाम ममता खान एवं मेरे पिता का नाम बॉब गुलमरह खान है जो कि उनके आधार कार्ड एवं पासपोर्ट में दर्ज है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र में मेरी माता का नाम एम0 खान व मेरे पिता का नाम बॉब खान अंकित हो गया है जोकि गलत है। भवष्यि में मेरी माता को ममता खान एवं मेरे पिता को बॉब गुलमरह खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शेरोन मारिया,
पता–117/एन/932 तुलसी नगर,
काकादेव, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स सिल्वर पैलेस, 1139, कटरा, जनपद–प्रयागराज के भागीदार विष्णु कुमार सिंह का दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 को निधन हो गया है। अब फर्म में दीपक कुमार सिंह तथा मनोज कुमार सिंह कुल दो भागीदार हैं। जिनका भागीदार अनुपात क्रमशः दीपक कुमार सिंह 50 प्रतिशत व मनोज कुमार सिंह 50 प्रतिशत। मृतक भागीदार विष्णु कुमार सिंह का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

मनोज कुमार सिंह,
भागीदार।

सूचना

मेरे पिता-माता का सही नाम संजीव कुमार पाण्डेय व विजयलक्ष्मी पाण्डेय है जोकि उनके पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। भूलवश मेरे हाई स्कूल वर्ष 2020 अनुक्रमांक 23274519 व इण्टर मीडिएट वर्ष 2022 अनुक्रमांक 23736873 के अंक-पत्र, सह प्रमाण-पत्र में पिता माता का नाम संजीव पाण्डेय व विजयलक्ष्मी पाण्डेय हो गया है। मुस्कान पाण्डेय पुत्री श्री संजीव कुमार पाण्डेय, फ्लैट नं0 11 द0 तुलसी अपार्टमेन्ट, महामंडल नगर लहुराबीर, वाराणसी।

मुस्कान पाण्डेय।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राधेश्याम मौर्या (RADHESHYAM MAURYA) पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मौर्या (RAJENDRA PRASAD MAURYA) है। त्रुटिवश मेरी पुत्री अल्का मौर्या (ALKA MAURYA) के हाई स्कूल अंक-पत्र, सह प्रमाण-पत्र में जिसका अनुक्रमांक 23242225 है। मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद मौर्या अंकित हो गया है, जोकि गलत है। राधेश्याम मौर्या, ग्राम बनवारीपुर, पोस्ट उमरहां, जिला भदोही।

राधेश्याम मौर्या,
ग्राम बनवारीपुर,
पो0–उपरहा, जिला भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वैभव त्रिपाठी है जोकि उसके लिखित अभिलेखों और आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण ज्योतिषचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम वैभव त्रिपाठी से बदलकर दीपेश त्रिपाठी (DEEPESH TRIPATHI) रख दिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को दीपेश त्रिपाठी पुत्र कौशल किशोर त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

कौशल किशोर त्रिपाठी,
190/56/1, जोंधवल,
तेलियरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मेरे पुत्र का नाम कान्हा पाण्डेय है जो शैक्षिक अभिलेख/आधार कार्ड में अंकित है। अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिष के अनुसार अपने पुत्र का नाम कान्हा पाण्डेय से बदलकर आदित्य पाण्डेय रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य पाण्डेय पुत्र अर्जुन कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये। अर्जुन कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 प्रेम चन्द्र पाण्डेय, ग्राम देवापुर अटरामपुर नवावगंज, प्रयागराज।

अर्जुन कुमार पाण्डेय।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स–जय माँ वैष्णों इन्क्लेव, 1/25, वास्तुखण्ड, गोमतीनगर, जिला–लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम, के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है। फर्म की साझेदारी में श्री राम आशीष यादव एवं श्रीमती सुमन गुप्ता साझेदार थे। जिसमें फर्म में एक नयी साझेदार दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से श्रीमती अनीता यादव शामिल हो रही हैं तथा फर्म की द्वितीय साझेदार श्रीमती सुमन गुप्ता फर्म की साझेदारी से दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से फर्म की साझेदारी से आपसी सहमति से अलग हो गयी हैं। वर्तमान में क्रमशः श्री राम आशीष यादव पुत्र श्री रामरतन यादव एवं श्रीमती अनीता यादव पत्नी श्री रामाशीष यादव हैं जिसकी सूचना दी जा रही है।

राम आशीष यादव,
साझेदार जय माँ वैष्णो इन्क्लेव,
जिला–लखनऊ।

सूचना

एत्तद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स–राज किशोर, नियर दीनदयाल स्कूल रतापुर, जिला–रायबरेली की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है। जिसमें दो साझेदार श्री रमाकान्त गिरि पुत्र श्री रामराज गिरि, श्री राजकिशोर पुत्र श्री सूर्यबली थे, जिसमें से एक नये साझेदार श्री दुर्गेश गिरि दिनांक 23 नवम्बर, 2020 फर्म की साझेदारी में नये शामिल हो रहे हैं तथा इसी तिथि से फर्म के पुराने साझेदार श्री राजकिशोर पुत्र श्री सूर्यबली फर्म की साझेदारी से अलग हो रहे हैं। वर्तमान में दो साझेदार श्री रमाकान्त गिरि एवं श्री दुर्गेश गिरि फर्म के साझेदार हैं। जिसकी सूचना दी जा रही है।

रमाकान्त गिरि,
साझेदार मेसर्स–राज किशोर,
जिला–रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र आशुतोष यादव के हाई स्कूल वर्ष 2022 के अंक-पत्र में मेरा नाम मधु यादव दर्ज हो गया है, जबकि मेरा नाम मधुबाला यादव है। जो कि सत्य है। अंक-पत्र में मेरा नाम संशोधन न्यायोचित है। मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये। मधुबाला यादव पत्नी रामनाथ मोहल्ला आवास विकास कालोनी जनपद–बस्ती।

मधुबाला यादव।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म–महन्ती इलेक्ट्रिकल्स प्लाट नं0 411/5, बालाजी एक्सटेंसन भगवानपुर, लंका, वाराणसी। फर्म में कुल दो साझीदार प्रबिर कुमार महन्ती व अजीत कुमार महन्ती हैं, जिसका रजि0 नं0 01652/2021–22 व पंजी0 सं0 VAR/0010612 दिनांक 25 नवम्बर, 2021 दर्ज है। फर्म के प्रबिर कुमार महन्ती का देहान्त दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 को हो गयी है, जिसमें श्रीमती दीपाली महन्ती को दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 ई0 नये साझीदार को शामिल किया गया, जिनके बावत किसी भी साझीदार को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु श्रीमती दीपाली महन्ती अक्सर स्वास्थ्य व फर्म में समय न देने कारण दिनांक 31 मार्च, 2023 को उक्त फर्म से अलग (पृथक) हो गयी हैं, दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को सुरजीत महन्ती को नये साझीदार को शामिल किया गया है, जिसके बावत किसी भी साझीदार को कोई अपत्ति नहीं है। अब फर्म में कुल दो साझीदार अजीत कुमार महन्ती व सुरजीत महन्ती होंगे, फर्म का कार्य यथावत् चलता रहेगा।

साझीदार,
अजीत कुमार महन्ती,
महन्ती इलेक्ट्रिकल्स,
प्लाट नं0 411/5 बालाजी एक्सटेंसन,
भगवानपुर, लंका, वाराणसी।

NOTICE

I am Prajjwal Singh son of Late Shree Ram Pratap Singh declare that in my High School and Intermediate marksheets CBSE board roll No. 5141174 (2019) and 23693058 (2021) RLB School Sarvodaya Nagar, Lucknow, my mother's name has been erroneously wirtten as Poonam Singh, while the correct name Raj Kumari Singh, Prajjwal Singh R/o 84/2B, Kurmanchal Nagar, Lucknow.

Prajjwal Singh,

NOTICE

It is informed to all General that I Raj Kumari Singh W/o Late Shree Ram Pratap Singh declare that in all my educational records Adhaar, Pan card and other Govt. documents my name is Raj Kumari Singh which is correct. By mistake my name has been mentioned as Poonam Singh in the High school marksheet of my son Ujjwal Singh (CBSE board, roll num. 23222626 year 2022) which is wrong Raj Kumari Singh 84/2B, Kurmanchal Nagar, Lucknow-226016

Raj Kumari Singh,

NOTICE

I Hitherto to known as Sandeep Gupta S/o Prabhunath Sahu, Address-917A, Sohbatiyabagh, Prayagraj, U.P. 211006 have changed my surname and shall hereafter be know as Sandeep Seth for all future purposes.

Sandeep Gupta,
917A, Sohbatiyabagh, Prayagraj, U.P.

पी0एस0यू0पी0–4 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।